न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0न0:– 150/2010 तारीख रजू:–28.10.2010

पीठासीन अधिकारी :–दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

1. धन्नालाल पुत्र चौथमल माली निवासी चैनपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. कालूराम पुत्र चौथमल माली निवासी चैनपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
3. सांवलराम पुत्र चौथमल माली निवासी चैनपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
4. हरफूल पुत्र चौथमल माली निवासी चैनपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–वादीगण

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र शंकर माली निवासी चैनपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. मोहन पुत्र शंकर माली निवासी चैनपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
3. प्रेमचंद पुत्र शंकर माली निवासी चैनपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित::–

वकील वादीगण:–श्री अजय शेखर दवे, एडवोकेट।

वकील प्रतिवादीगण– श्री दिनेश पारीक, एडवोकेट।

निर्णय दिनांक:–03.01.2025

वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0 एक्ट

–: निर्णय :–

1. वादपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि वादीगण के कब्जेकाश्त व खातेदारी की ग्राम विजयपुरा में खसरा नंबर 454, 455, 456, 456/540 रकबा 1.47 है0 स्थित है। वादीगण अपनी उक्त आराजीयात को एक चक के रूप में काश्त कर रहे हैं। वर्तमान में मिर्च की फसल है। प्रतिवादीगण लड़ाकू व बदमाश किस्म [illegible] जो आये दिन प्रार्थी की फसल को नष्ट करते हैं। वे [illegible] निकलने का प्रयास करते हैं। दिनांक 15.10.2010 की सुबह 10 बजे की बात है कि वादी नंबर 1 खेत की रखवाली के लिए बैठा तभी प्रतिवादीगण एक साथ वहां आये और मेड़ तोड़कर मिर्च के खेत के बीच में होकर जाने लगे। वादीगण ने रोका तो वे माने पीटने पर आमादा हो गये। इसके बाद प्रार्थी की फसल को उचींद कर प्रार्थी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.06.26 11:52:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ सत्यमेव जयते ★ चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

खातेदारी के खेत के बीच में होकर नया रास्ता निकालने की धमकी दी। यह है कि खेत खसरा नंबर 454, 455, 456 456/540 वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी के खेत हैं, जिसे प्रतिवादीगण को किसी तरह का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। वादीगण के सीधेपन का फायदा उठाकर वे प्रार्थी की फसल को नष्ट–भ्रष्ट करना चाहते हैं, तथा फसल को उचींद कर कर खेत के बीच में होकर नया रास्ता निकालने पर आमादा है, जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। इसके विपरीत वादीगण को हक हासिल है कि वे अपने खातेदारी व कब्जे काश्त व खेतों जिन्हे मद नंबर 1 में उल्लेखित किया है, को व उसकी सीमाओं व उसमें काश्त की गई फसल की सुरक्षा के लिए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावें। विनाय दावा दिनांक 15.10.2010 को उस समय पैदा हुआ तब विपक्षीगण ने वादीगण की फसल के बीच से वाहन निकालने व नया रास्ता बनाने की धमकी दी। अतः यही विनाय दावा पैदा होकर दावा करना आवश्यक हुआ। अतः दावा पेश निवेदन है कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावें कि वे

- वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी के खेत खसरा नंबर 454, 455, 456 456/540 कुल किता 4 कुल रकबा 1.47 है0 में वादीगण में व खेत की सीमा व उसमें बोई फसल में न तो स्वयं कोई हस्तक्षेप करें और ना ही ऐसी किसी अन्य के माध्यम से करावें।
- दोराने दावा यदि मद संख्या 1 में अंकित खेतों में या उसकी किसी फसल में कोई बाधा या नुकसान करने में सफल हो जाये या खेतों को कोई हिस्सा जबरन छीनने में सफल हो जाये तो प्रतिवादीगण को ऐसे हिस्से से बेदखल कर मय मीनस प्रोफिट के कब्जा वादीगण को दिलवायें।

1. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम प्रतिवादीगण जारी किये जाकर उनको न्यायालय में तलब किया गया।

2. यह है कि प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता अपना जवाब पेश किया है कि वादीगण द्वारा लिखित खसरा नंबरों में से होकर प्रतिवादीगण के खेतों में आने जाने का रास्ता हमेशा का रहा है। प्रतिवादीगण रास्ते का उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं।

3. यह है कि प्रतिवादीगण ने अपने जवाब के साथ काउन्टर क्लेम किया है कि

- वादीगण ने यह दावा प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करने की गरज से दावा प्रस्तुत किया है, जो काबिले खारिज है।
- वादीगण ने प्रतिवादीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की अराजीयात भूमि खसरा नंबर 457, 468, 469, 470 पर आने जाने का एकमात्र रास्ता वादीगण की खातेदारी आराजीयात खसरा नंबर 455 व 456 के मध्य मेड़ पर होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Sing
Date: 2025.06.26 11:52:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

जाने के रास्ते को बंद कर दिया था प्रतिवादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र रास्ता खुलवाने हेतु ग्राम पंचायत, पांवडेरा में प्रस्तुत किया था, जिस पर ग्राम पंचायत ने दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका निरीक्षण करवाकर दिनांक 05.10.05 को निर्णय पारित किया। प्रतिवादीगण का अभी वर्तमान में होकर रास्ता है, वहीं से निकलने का रास्ता दिया जावे, तोड़े हुए रास्ते पुनः तैयार करवाकर वादीगण को आने जाने का रास्ता बहाल किया जावे, लेकिन वादीगण ने इस निर्णय के विरूद्ध कहीं पर न तो कोई अपील की और ना ही कोई कार्यवाही। इस प्रकार जब ग्राम पंचायत रास्ते के संबंध में सक्षम अधिकारिता रखती है तो उसका निर्णय अंतिम है, लेकिन वादीगण निहायत ही चालाक किस्म के व्यक्ति होने के कारण ग्राम पंचायत के निर्णय की कोई अपील प्रस्तुत नहीं की और यह राजस्व वाद प्रस्तुत कर दिया। इसलिये प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है।

- वादीगण ने प्रतिवादीगण के रास्ते में रूकावट पैदा की तो दिनांक 23.09.2010 को शांतिभंग करने का प्रयास किया तो प्रतिवादी प्रेमचंद ने वादीगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र थाना चौथ का बरवाड़ा में प्रस्तुत किया तो थानाधिकारी ने जांच करके एक इस्तगासा 107, 116 सी.आर.पी.सी. माननीय न्यायालय तहसीलदार एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट, चौथ का बरवाड़ा का प्रस्तुत किया तो माननीय न्यायालय ने वादीगण को जरिये सम्मन तलब किया, जिसमें 10,000—10,000/—रूपये के जमानत मुचलके से वादीगण को 12.10.10 को 6 माह के लिए पाबंद है, लेकिन बावजूद भी वादीगण हम प्रतिवादीगण के रास्ते को बंद करने पर आमादा हैं। इसलिये वादीगण का वादपत्र निरस्त होने योग्य है।

- अतः जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी दावा मय खर्चा खारिज किया जावे कि खसरा नंबर 457, 468, 469, 470 ग्राम विजयपुरा तहसील चौथ का बरवाड़ा के आने जाने का रास्ता खसरा नंबर 453 व 456 के मध्य आने जाने में मजाहमत न तो स्वंय करे और न ही किसी अन्य से करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Sin
Date: 2025.06.26 11:52:34 IST
Reason: SelfAttested

4. यह है कि प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई:-

- आया वादीगण के खेत खसरा नंबर 454, 455, 456, 456/540 कित्ता 1.47 है0 के संबंध में प्रतिवादीगण को किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न करने से स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

—वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

➢ आया न्यायालय को उक्त वाद श्रवण का अधिकार नहीं है।

–प्रतिवादीगण

1. यह है कि वादीगण ने अपने साक्ष्य के समर्थन में निम्नानुसार साक्ष्य पेश किये है–

- **पी0डब्ल्यू0–1:–धन्ना पुत्र चोथमल माली निवासी ग्राम चेनपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।**
- **पी0डब्ल्यू0–2:–कैलाश पुत्र ईशर माली निवासी चेनपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा,जिला सवाई माधोपुर।**
- **प्रदर्श–1:– जमाबंदी संवत् 2071–74**

2. यह है कि प्रतिवादीगण ने अपने साक्ष्य के समर्थन में निम्नानुसार साक्ष्य पेश किये है–

- **डी0डब्ल्यू0–1:–राधेश्याम पुत्र शंकर लाल माली निवासी चैनपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।**
- **डी0डब्ल्यू0–2:–बरदीचंद पुत्र भोलू मीना निवासी चैनपुरा, निवासी चेनपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।**
- **डी0डब्ल्यू0–3:–प्रेमचंद पुत्र शंकर लाल माली निवासी चैनपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।**
- **प्रदर्श–EXD-1:–**नकल निर्णय ग्राम पंचायत पांवडेरा
- **प्रदर्श–EXD-2:–**नकल इस्तगासा, थानाधिकारी, चौथ का बरवाड़ा बनाम धन्ना लाल वगै0
- **प्रदर्श–EXD-3:–**जमाबंदी संवत् 2063–66 खाता संख्या 88 ग्राम विजयपुरा
- **प्रदर्श–EXD-4:–**नक्शा ट्रेस नया

3. यह है कि प्रकरण में पटवारी हल्का, पांवडेरा की बिन्दुवार वस्तुस्थिति की रिपोर्ट 12.05.2017 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उनवानी प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब के उज्रात मजीद मय काउन्टर क्लेम में प्रतिवादीगण की खातेदारी खसरा नंबर 457,468, 472, 470 पर आने जाने का रास्ता वादीगण की खातेदारी आराजीयात खसरा नंबर 455 व 456 के मध्य मेड़ पर होकर आने जाने वाला रास्ता का मौका देखा गया, जिसके अनुसार आम एम.डी.आर. सड़क चौथ का बरवाड़ा से पांवडेरा से लगता हुआ खसरा नंबर 455 व 456 की मध्य मेड़ से रास्ता दिया जाने के संबंध में मुताबिक नक्शा शीट shortestहै, जिसके संबंध में ग्राम पंचायत पांवडेरा द्वारा मि0नं0 13 दिनांक दायर 05.07.05 तथा दिनांक फैसला 05.10.05 की प्रति फाईल शामिल है। उसमें भी इसी रास्ते का निर्णय किया हुआ है। वर्तमान में मौके पर खसरा नंबर 455 व 456 के मध्य मेड़ से प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजीयात तक पहुंच हेतु कोई रास्ता बना हुआ है। प्रतिवादीगण की आराजीयात 457, 468, 472, 470 तक पहुंचने के लिये मुख्य सड़क से खसरा नंबर 455 व 456 की मध्य मेड़ से नजदीकी दूरी पड़ती है, रास्ता कायम किया जाना उचित है एवं रास्ते में गई भूमि की पूर्ति हेतु प्रतिवादीगण के खसरा नंबर 457 से बने नवीन नंबर 602/457 में से भूमि दिया जाना उचित है। यह खसरा वादीगणों के खसरा नंबर 456 से लगता हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar S
Date: 2025.06.26 11:52:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाडा

4. बहस बकुलाय सुनी गई। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस वादपत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया। साथ ही बताया किग्राम पंचायत के निर्णय में विवादित खसरा नंबरों का उल्लेख नहीं है।राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में धारा 251 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा पारित निर्णय को सदा–सर्वदा के लिये स्थायी निषेधाज्ञा की तरह नहीं माना जा सकता। विवादित आराजी पर वर्तमान में मौके/रिकॉर्ड पर कोई रास्ता मौजूद नहीं है। खातेदारी भूमि के उपयोग में अन्य व्यक्तियों द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने की स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत स्थायी निषेधाज्ञा के वाद का इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।वर्तमान में खसरा नंबर 455 व 456 के मध्य मेड़ पर प्रतिवादीगण की आराजीयात तक पहुंचने हेतु कोई रास्ता मौजूद नहीं है। वादीगण विवादित खसरा नंबर 454, 455, 456 व 456/540 के रिकॉर्डेड खातेदार हैं एवं काबिज है। अतः विवादित खसरा नंबरों पर प्रतिवादीगण को वादी के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाये।

5. इसी प्रकार प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस जवाब में अंकित तथ्यों का दोहरान किया, साथ ही बताया कि प्रतिवादीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की अराजीयात भूमि खसरा नंबर 457, 468, 469, 470 पर आने जाने का एकमात्र रास्ता वादीगण की खातेदारी आराजीयात खसरा नंबर 455 व 456 के मध्य मेड़ पर होकर था, जिसे वादीगण ने बंद कर दिया था। प्रतिवादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र रास्ता खुलवाने हेतु ग्राम पंचायत, पांवडेरा में प्रस्तुत किया था, जिस पर ग्राम पंचायत ने दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका निरीक्षण करवाकर दिनांक 05.10.05 को निर्णय पारित किया। वादीगण ने इस निर्णय के विरूद्ध कहीं पर न तो कोई अपील की और ना ही कोई कार्यवाही। इस प्रकार जब ग्राम पंचायत रास्ते के संबंध में सक्षम अधिकारिता रखती है तो उसका निर्णय अंतिम है, लेकिन वादीगण निहायत ही चालाक किस्म के व्यक्ति होने के कारण ग्राम पंचायत के निर्णय की कोई अपील प्रस्तुत नहीं की और यह राजस्व वाद प्रस्तुत कर दिया। इसलिये प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है। प्रतिवादीगण का अभी वर्तमान में होकर रास्ता है, वहीं से निकलने का रास्ता दिया जावे, तोड़े हुए रास्ते पुनः तैयार करवाकर वादीगण को आने जाने का रास्ता बहाल किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar
Date: 2025.06.26 11:52:34 IS
Reason: SelfAttested

6. मैंनेउभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया। तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है–

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

7. <u>तनकी संख्या 1:–</u>आया वादीगण के खेत खसरा नंबर 454, 455, 456, 456/540 कुल रकबा 1.47 है0 के संबंध में प्रतिवादीगण को किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न करने से स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। पक्षकारों के बीच में मुख्यतः विवाद यह है कि प्रतिवादीगणों के अनुसार उनके खसरा नंबर 457, 469, 470 पर आवागमन का एकमात्र रास्ता वादी की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 455 व 456 के मध्य के रोड पर होकर था, जिसे वादीगण द्वारा 2005 में बाधित किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा प्रकरण संख्या 13 दिनांक 05.07.2005 (प्रदर्श–1) को दर्ज कर दिनांक 05.10.2005 को इसे निर्णीत किया गया। यद्यपि ग्राम पंचायत के निर्णय में विवादित खसरा नंबरों का उल्लेख नहीं है, परन्तु पटवारी रिपोर्ट एवं निर्णय की विषयवस्तु से स्पष्ट है कि रास्ते संबंधी तत्समय विवाद इन्ही खसरा नंबरों के मध्य था। निर्णयानुसार प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 3) को जहां होकर तत्समय निकलता था, वहीं से निकलने का रास्ता देने एवं तोड़े हुए रास्ते को पुनः तैयार कर रास्ता बहाल करने का आदेश दिया गया। पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वर्तमान में खसरा नंबर 455 व 456 के मध्य मेड़ पर प्रतिवादीगण की आराजीयात तक पहुंचने हेतु कोई रास्ता मौजूद नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत के निर्णय दिनांक 05.10.2005 की कभी पूर्ण पालना नहीं हुई एवं वर्तमान में रास्ता पूरी तरह बंद है। वादीगण वर्तमान में प्रतिवादीगण को उनके कब्जे काश्त में बाधा नहीं पहुंचाने हेतु पाबंद करवाना चाहते हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संख्या 2063–66 (प्रदर्श–1) से स्पष्ट है कि वादीगण विवादित खसरा नंबर 454, 455, 456 व 456/540 के रिकॉर्डेड खातेदार हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नक्शा (प्रदर्श–2) से स्पष्ट है कि इन खसरा नंबरों में कोई रिकॉर्डेड रास्ता नहीं है।पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वर्तमान में खसरा नंबर 455 व 456 के मध्य मेड़ पर प्रतिवादीगण की आराजीयात तक पहुंचने हेतु कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के विवादित खसरा नंबरों पर कब्जे होने के तथ्य को प्रश्नगत भी नहीं किया गया है। अतः वादीगण विवादित खसरा नंबरों पर प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकार रखते हैं। प्रतिवादीगणों को उनके खेतों पर पहुंच हेतु वादीगण की आराजी से रिकॉर्डेड रास्तों की आवश्यकता होने की स्थिति में वे सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही हेतु स्वतंत्र हैं। इस प्रकार तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damod
Date: 2025.06.26 11:52:3
Reason: SelfAttested

8. <u>तनकी संख्या 2:–</u>आया न्यायालय को उक्त वाद श्रवण का अधिकार नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगणों के अनुसार उनके खसरा नंबर 457, 469, 470 पर आवागमन का एकमात्र रास्ता वादी की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 455 व 456 के मध्य के रोड पर होकर था, जिसे वादीगण द्वारा 2005 में बाधित किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा प्रकरण संख्या 13 दिनांक 05.07.2005 (प्रदर्श–1) को दर्ज कर दिनांक 05.10.2005 को इसे निर्णीत किया गया। प्रतिवादीगणों के अनुसार ग्राम पंचायत के उक्त निर्णय की अपील न होने के कारण उक्त निर्णय अंतिम हो चुका है, इस आधार पर हस्तगत प्रकरण को इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर बताया गया है। परन्तु तनकी संख्या 1 में विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत के उक्त निर्णय की कभी पूर्ण पालना नहीं हुई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में धारा 251 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा पारित निर्णय को सदा–सर्वदा के लिये स्थायी निषेधाज्ञा की तरह नहीं माना जा सकता। विवादित आराजी पर वर्तमान में मौके/रिकॉर्ड पर कोई रास्ता मौजूद नहीं है। खातेदारी भूमि के उपयोग में अन्य व्यक्तियों द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने की स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत स्थायी निषेधाज्ञा के वाद का इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इस प्रकार तनकी संख्या 2 खारिज योग्य है।

9. इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण द्वारा उनके खेत खसरा नंबर 457, 468, 469 व 470 तक पहुंच हेतु खसरा नंबर 455 व 456 के मध्य रास्ते में वादीगण/उनके वारिसान द्वारा बाधा उत्पन्न न करने के लिये वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का काउंटर क्लेम किया था, जिसकी तनकी नहीं बनी थी। तनकी संख्या 1 में विवेचन अनुसार ऐसा कोई रास्ता रिकॉर्ड/मौके पर वर्तमान में मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त काउंटर क्लेम भी खारिज योग्य है। एवं जिस खसरा नंबर 455 व 456 के मध्य से रास्ता होना बताया है, दोनों खसरा नंबरों के वादीगण रिकॉर्डेड खातेदार है। रिकॉर्डेड खातेदारों को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है।

10. इस प्रकार मैं उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझता हूं।

–:आदेश:–

वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम विजयपुरा में स्थित वादीगण [illegible] कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 454, 455, 456 च 456/540 कुल किता 4 कुल रकबा 1.47 है0 में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। निर्णय आज दिनांक 03.01.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Veri
Digitally signed by Dan
Date: 2025.06.26 11:52
Reason: SelfAttested

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा